उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-9/2016/क0नि0-2-485/ग्यारह-9(13)/2010-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(156)-2016

लखनऊ:: दिनांक:: 04 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन 2008) की धारा 3-क की उपधारा (1) के अधीन शकित का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 05 अप्रैल, 2016 से समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-2-419ग्यारह-9(1)08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(69)- 2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते है:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 3 की प्रविषिट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविषिट स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात:-

सारिणी

क्रम संख्या	माल का विवरण	दर
1	**2**	**3**
3	सीमेन्ट	4 प्रतिशत

आज्ञा से,

बीरेश कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in